पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य दिव्यांगजन-135(भाग-2)/2024-25/ 3862 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 18 नवम्बर, 2024

1-समस्त सयुंक्त आयुक्त(कार्यपालक),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त उपायुक्त(प्रशासन)/सहायक आयुक्त(ए),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-"क," "ख", "ग" एवं "घ" में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिहांकन।

कृपया उपर्युक्त विषयक दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-आई/756713/2024/65-3-2024 दिनांक 30.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-"क," "ख", "ग" एवं "घ" में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन करते हुए शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0 दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/फाइल नं0-65-3099/58/2022-3 दिनांक 09.12.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए सम्बन्धी शासनादेश जारी किया गया है।

अतः शासन द्वारा जारी उक्त शासनादेश दिनांक 30.09.2024 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-विभागीय वेबसाइड पर।

18-11-24

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-संयुक्त आयुक्त(संग्रह/आई0टी0), राज्य कर,मुख्यालय, लखनऊ।

3-संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

4-पटल प्रभारी-स्था0-5क, 5ख, 5ग, 3क एवं 3ख, (स्था0 अरा0अनु0), राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

संलग्नकः-विभागीय वेबसाइड पर।

18-11-24

अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीमती प्रतिमा
20/11/24
JC (I.T)
19/11/24

3183

1552/11-3-2024

I/756713
संख्या- /2024/65-3-2024

प्रेषक,

सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

586/PS/ST/24
JS(RP)

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2024

03.10.24
(डी० पी० पाण्डेय)
अपर निजी सचिव
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उ०प्र० शासन।

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजन के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

DSC (RP)/ 50.3
03/X/2024

2- उर्पयुक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2018/18/1/2008-का-2/2018, दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क), (ख), (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ड़) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है:-

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति ह्रास
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता,
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक निःशक्तता
(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3- उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/ 246279/ 2022/ फाइल नं0-65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 द्वारा लोक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है।

4- पदों के पुनर्चिन्हांकन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 30.07.2021 एवं 09.12.2022 में कतिपय विभागों द्वारा दिव्यांगजन हेतु चिन्हित किये गये कतिपय पदों की श्रेणी/उपश्रेणी चिन्हित न किये जाने के दृष्टिगत संबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विशेषज्ञ समिति की बैठक/समीक्षा के उपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/फाइलनं0-65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 के अनुक्रम में निम्नानुसार चिन्हांकन/पुनर्चिहांकन किये

श्री ... 04/10/24

जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0स0	विभाग का नाम	समूह	पदनाम	श्रेणी/ उप श्रेणी
1-	प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर)	क	प्रधानाचार्य	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			विभागाध्यक्ष (विभिन्न विषय)	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
		ख	व्याख्याता विभिन्न विषय	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			फोरमैन	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			कर्मशाला अधीक्षक	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			पुस्तकालयाध्यक्ष	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
		ग	अनुदेशक (विभिन्न विषय)	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			कर्मशाला अनुदेशक (विभिन्न विषय)	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			प्राविधिक सहायक	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			आशुलिपिक	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			कनिष्ठ सहायक	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			कम्प्यूटर आपरेटर	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			कनिष्ठ सहायक/ स्टोरकीपर	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			टेक्नीशियन	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			ड्राइवर	एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0

		घ	इलेक्ट्रीशियन	एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			चौकीदार	एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			माली	ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, डी0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
			चतुर्थ श्रेणी (अन्य)	ओ०ए०, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डी0डब्लू0, ए0ए0वी0
2-	सचिवालय प्रशासन विभाग	ख	समीक्षा अधिकारी(लेखा)	एल0वी0, एच0एच0, सी0पी0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0, एम0डी0वाई0, ओ0ए0, ओ0एल0 , बी0
3-	कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग	ग	लैब टेक्नीशियन	ओ0ए0, ओ0एल0, एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्लू0, ए0ए0वी0
4-	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद, उ0प्र0)	ग	लेखपाल	एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लयू0
			राजस्व निरीक्षक	एल0वी0, एच0एच0, एल0सी0, ए0ए0वी0, एम0डी0, ओ0ए0, ओ0एल0, डी0डब्लयू0

Signed by Subhash Chand Sharma
Date: 28.08.2024 17:19:57

5 - शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30.07.2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/फाइल नं0-65-3099/58/2022-3, दिनांक 09.12.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के लिये उपरोक्तानुसार विभागवार चिन्हांकित/पुनर्चिहांकित पदों पर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/ प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

8- यह शासनादेश http://shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन
(3) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
(4) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) निजी सचिव, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव।

Signed by
Rakesh Kumar Yadav
Date: 30-09-2024 10:40:10